"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013— श्रावण 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2013 .— यत:, राज्य शासन की राय है कि मिशनरीज ऑफ चेरिटी, रायगढ़ के स्वामित्व के मोटरयान वाहन क्रमांक सी. जी. 13-एल/5573 को लोक हित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन होगा ;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "मिशनरीज ऑफ चेरिटी" रायगढ़ के स्वामित्व के मोटरयान वाहन क्रमांक सी. जी. 13-एल/5573 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से, छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2013 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 29th July 2013

NOTIFICATION

No. F 5-3/VIII-Tr./2013.—Whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by the Missionaries of Charity, Raigarh, Vehicle Number C. G. 13-L/5573, from payment of motor vehicle tax in the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhān Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby, exempts the motor vehicle owned by the "Missionaries of Charity" Raigarh, Vehicle Number C. G. 13-L/5573, from the payment of motor vehicle tax leviable under section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issuance of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Dy. Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.